शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ ।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/1664-823/2012–13 दिनांकः 19 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक/बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । उक्त अधिनियम की धारा 24(1) में विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों हेतु निम्नवत् कर्तव्य निर्धारित किए गये हैं :–

(क) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन,
(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना ।
(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना,
(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना,
(ङ.) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना,
(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जांय,

उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 19(1) में अध्यापकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्धारित कर्तव्य निम्नांकित हैः–

(क) विद्यालय में नियमित और समय से उपस्थिति, नियमित शिक्षण, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा,
(ख) प्रत्येक बालक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का अनुश्रवण करेंगा, नियमित रूप से बालकों के कार्य निष्पादन पर माता–पिता के साथ चर्चा करेगा,
(ग) जब अपेक्षा की जाय, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति के कियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा,
(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा,
(ङ.) बालकों के ज्ञान की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी योग्यता की जॉच तथा सतत् मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य संचयी अभिलेखयुक्त फाईल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके आधार पर पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

2401/23/7

ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्या–1739/79–5–2011–29/2009टी0सी0 दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन सभी विद्यालयों में किया जा चुका है तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र संख्या–स्कूल चलो अभियान/1064/2012–13 दिनांक 12 जून, 2012 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समस्त सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने हेतु **शिक्षा का हक** अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 10 शिक्षा दलों (प्रत्येक दल में 03 स्वयं सेवी होंगे) को गठित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं । शिक्षा दलों द्वारा प्रत्येक माह 20 आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है । इसी के साथशिक्षा निदेशक(बेसिक) के पत्रांक शि0नि0(बे0)/उ0नि0(प्रा)/6497–6592/2012–13 दिनांक 07 जून, 2012 द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र 2012 –13 हेतु विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु विकास खण्ड/जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण हेतु निर्देश भी भेजे गये हैं ।

चूँकि वर्तमान शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होते हुए लगभग एक माह व्यतीत हो चुका है, इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाय और यह देखा जाय कि विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के पश्चात् कक्षा शिक्षण कितना हुआ है ? पढ़ाये गये पाठों पर छात्र/छात्राओं के अवबोध की स्थिति सरल भाषा में प्रश्नों के माध्यम से ज्ञात की जाय तथा उसका अंकन सुस्पष्ट रूप से पर्यवेक्षण आख्या में किया जाय । साथ ही यह भी देखा जाय कि विद्यालयों में वर्तमान में निर्गत नियमों/निर्देशों के अनुपालन की क्या स्थिति है? विद्यालयों में अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, नियमित शिक्षण एवं पाठ्यक्रमानुसार पठन–पाठन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु संलग्न सूची के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों हेतु निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किए जाते है। नामित अधिकारियों के द्वारा अपने नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में **माह, अगस्त/सितम्बर,2012** के द्वितीय, तृतीय सप्ताह में विद्यालयों का सघन निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जायेगा । निरीक्षण में अध्यापक/छात्रों की उपस्थिति, पाठ्यक्रमानुसार पठन–पाठन, नियमित कक्षा शिक्षण, बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकों/यूनीफार्म की उपलब्धता आदि के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाय, जिससे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण सृजित हो सके । इसी के साथ निरीक्षण के समय यथा–सम्भव विद्यालय प्रबन्ध समिति के कियाकलापों का अनुश्रवण तथा प्रबन्ध समिति को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाय । यह भी देखा जाय कि **शिक्षा का हक** अभियान के अन्तर्गत जनपदों में स्वैच्छिक दलों का गठन किया गया है या नहीं और गठित स्वैच्छिक दलों द्वारा निरीक्षण आदि किए जाने की क्या स्थिति है । इन समस्त बिन्दुओं खण्ड शिक्षा अधिकारी सघन रूप से विद्यालय का भ्रमण करके अनुपालन सुनिश्चित करेंगें ।

संलग्न सूची में अंकित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आख्या विद्यालय में भी अंकित की जायेगी तथा सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देशों सहित

माह अगस्त एवं सितम्बर, 2012 में विद्यालयों के सघन निरीक्षण हेतु जनपदवार नामित अधिकारियों का नाम

संलग्नक

क्र0	पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम	जनपद
1.	श्री महेन्द्र सिंह राणा, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) लखनऊ	सीतापुर, / लखनऊ
2.	श्री बृजभूषण मौर्य, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) फैजाबाद	फैजाबाद
3.	श्रीमती अंजना गोयल, प्र0 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) अलीगढ़	अलीगढ़ / कांशी रामनगर
4.	श्रीमती राजकुमारी वर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ	बांदा
5.	श्री ए0के0सिंह, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) मेरठ	मेरठ / गौतमबुद्धनगर
6.	सुश्री ममता अग्रवाल, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ	शाहजहॉपुर
7.	श्री आशुतोष दुबे, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ	वाराणसी
8.	श्री अनुभव सिन्हा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ	श्रावस्ती
9.	श्री आशुतोष गौड़, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ	बरेली
10.	श्री विनय कुमार गिल, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) कानपुर	औरैया / रमाबाईनगर
11.	श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी, उप निदेशक, एम0डी0एम अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ	झांसी
12.	श्री संजीव सिंह, सहायक उप निदेशक, एम0डी0एम अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ	जालौन
13.	श्री सूर्य प्रकाश जायसवाल, सहायक शिक्षा निदेशक, एम0डी0एम अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ	महोबा
14.	श्री राजेश शाही, सहायक शिक्षा निदेशक, एम0डी0एम अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ	संतकबीरनगर
15.	श्री राजेश श्रीवास, सहायक शिक्षा निदेशक, एम0डी0एम अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ	उन्नाव
16.	श्री रामेश्वर पाल, सहायक उप शिक्षा निदेशक (सेवाए)शिक्षा निदेशालय (बेसिक)लखनऊ	मुजफ्फरनगर
17.	श्री धर्मेन्द्र सक्सेना, सहायक शिक्षा निदेशक, एम0डी0एम अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ	सिद्धार्थनगर
18.	श्री एम0पी0 सिंह, सहायक शिक्षा निदेशक, एम0डी0एम अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ	हमीरपुर
19.	श्री के0 के0 गुप्ता, संयुक्त शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ	आगरा
20.	श्री हिमांशु मोहन, वरिष्ठ प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ	बुलन्दशहर
21.	श्री सतीश सिंह, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)गोरखपुर	गोरखपुर / बस्ती
22.	श्री प्रवीणमणि त्रिपाठी, वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (बेसिक)लखनऊ ।	रायबरेली
23.	श्री मो0 रफीक, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़	मऊ
24.	श्री अवध किशोर सिंह, सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद	जौनपुर
25.	श्री एस0पी0त्यागी, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मुरादाबाद	बिजनौर
26.	श्री आई0पी0 शर्मा, अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद	सुलतानपुर
27.	श्री संजय सिन्हा, संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद	फतेहपुर
28.	श्री मनोज द्विवेदी, उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद	गाजीपुर
29.	श्री अमरकान्त सिंह, सहायक उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद	मिर्जापुर
30.	श्री विजय शंकर मिश्रा, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद	फैजाबाद
31.	श्री अवध नरेश शर्मा, अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद	इलाहाबाद
32.	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद	संतरविदासनगर
33.	श्रीमती शशि किरण त्रिपाठी, उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय बेसिक, लखनऊ	फिरोजाबाद
34.	श्री विवेक नौटियाल, उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय (बेसिक), लखनऊ	गाजियाबाद
35.	श्रीमती नीरजदेव मिश्र, सहायक शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय बेसिक, लखनऊ	बाराबंकी
36.	श्री विकास श्रीवास्तव, संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	हरदोई
37.	श्रीमती आभा मिश्रा, उप शिक्षा निदेशक,लखनऊ मण्डल, लखनऊ	लखीमपुर खीरी
38.	श्री प्रताप सिंह बघेल, संयुक्त शिक्षा निदेशक,गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर	देवरिया
39.	श्रीमती रेनू चतुर्वेदी, उप शिक्षा निदेशक,गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर	महराजगंज / कुशीनगर
40.	श्रीमती माया निरंजन, संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर	फर्रूखाबाद
41.	श्रीमती आभा मिश्र, उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल लखनऊ	कन्नौज
42.	श्री मुकेश अग्रवाल, संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा	मैनपुरी

कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के स्तर का भी मूल्यांकन किया जायगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) उपर्युक्त वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगें ।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याः शि0नि0(बे0)/ 16664-823/2012–13 तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ ।
2– विशेष सचिव, शिक्षा (5) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
4– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
5– समस्त नामित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारी ।
6– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश ।
7– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति समस्त खण्ड शिक्षाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः उक्तवत् ।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

43.	सुश्री नीना कटियार, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा मण्डल	एटा / मथुरा
44.	श्री विष्णु श्याम द्विवेदी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वाराणसी	अम्बेडकरनगर / बहराइच
45.	श्री सूरज नारायण मिश्र, संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़	आजमगढ़ / बलिया
46.	श्री फैजुर्रहमान, संयुक्त शिक्षा निदेशक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर	सोनभद्र
47.	श्री चन्द्रजीत यादव, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी मण्डल	चंदौली
48.	श्री अमरनाथ वर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद	कौशाम्बी
49.	श्री महेन्द्र कुमार, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), इलाहाबाद मण्डल,	प्रतापगढ़
50.	सुश्री रमेश शर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद	जे0पी0नगर / रामपुर
51.	श्री रमेश, संयुक्त शिक्षा निर्देशक, बरेली मण्डल, बरेली	पीलीभीत
52.	श्री पवन कुमार सचान, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल, बरेली	बदायूँ
53.	श्रीमती गीता अग्निहोत्री, संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी मण्डल,झांसी	चित्रकूट
54.	सुश्री नीना उदैनिया, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झांसी मण्डल,झांसी	ललितपुर
55.	श्री हरवंश सिंह, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, महामायानगर	महामायानगर
56.	श्रीमती अंजना गोयल, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अलीगढ	अलीगढ़
57.	श्री इश्तियाक अहमद, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर नगर	कानपुरनगर
58.	श्री राजकुमार दुबे, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागपत	बागपत
59.	श्रीमती मीना शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ	बलरामपुर
60.	श्री अजय कुमार द्विवेदी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा	गोण्डा
61.	श्रीमती ममता श्रीवास्तव, अपर शिक्षा निदेशक (शिविर) शिक्षा निदेशालय,लखनऊ	मुरादाबाद
62.	श्री दिनेश बाबू शर्मा, अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ	इटावा
63.	श्री भगवती सिंह, पाठ्य पुस्तक अधिकारी, निशातगंज,लखनऊ	सहारनपुर

प्रेषक,

बासुदेव यादव
शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक:आर0टी0ई0 / शि0नि0(बे0)/9924–10191 /2012–13 दिनांक: 16 जुलाई, 2012

विषय: **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका/नगरपंचायत) पड़ोसी विद्यालय को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को कियान्वित कराये जाने के प्रयोजन से उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 प्रख्यापित की गयी है। यह नियमावली जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है तथा सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.upefa.com पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध है।

उक्त नियमावली में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार 6–14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराने के प्रसंग में अपेक्षित कार्यवाही तत्काल किये जाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर निम्नांकित कार्यवाही **दिनांक 30 सितम्बर, 2012** तक पूर्ण कर ली जाये।

1 - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुच्छेद 4 (1) एवं 4 (3) में निम्नांकित व्यवस्था दी गयी है:–

4(1) **"पास पड़ोस का क्षेत्र या सीमा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना की जानी है, निम्नवत् होगी:–**

(क) **कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है;**

(ख) **कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती मे विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।**

स्पष्टीकरण:– इस नियम के प्रयोजनार्थ पद "राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, यथास्थिति, धारा–10 या धारा–10 क के अन्तर्गत स्थापित समिति से है।

4(3) **"स्थानीय प्राधिकारी अर्थात् यथास्थिति ग्राम पंचायत/ नगरनिगम/ नगरपालिका/नगर पचायत किसी पड़ोसी विद्यालय को चिन्हित करेगा जहाँ बालकों को प्रवेश दिलाया जा सके तथा प्रत्येक बस्ती के लिए अपनी अधिकारिता की भीतर ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा"**

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में प्रत्येक बस्ती/आबादी के लिए पड़ोसी विद्यालय का चिन्हांकन कर सार्वजनिक करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह चिह्नांकन सार्वजनिक करने के उद्देश्य से विद्यालय

एवं ग्राम पंचायत स्तर, विकारा खण्ड क्षेत्र समिति स्तर तथा जनपदीय डी0पी0ओ0 के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाय। संकलित सूची खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा रखी जायेगी।

2- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) में यह व्यवस्था दी गयी है--

धारा 12 (1)--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) **धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा;**

(ख) **धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा;**

(ग) **धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या से कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगाः परन्तु यह और कि जहाँ धारा 2 के खण्ड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहाँ खण्ड (क) से खण्ड (ग) के उपबन्ध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगें।**

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में पड़ोसी विद्यालय अवधारित किये जाने होंगें। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2009 की धारा--2 (ढ) में चार श्रेणी के विद्यालय परिभाषित किये गये है, जो इस प्रकार है--

धारा--2 (ढ) "विद्यालय" से प्रारम्भिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:--

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय;

(ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने सम्पूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायताप्राप्त विद्यालय;

(iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय, और

(iv) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने सम्पूर्ण व्यय या उसके भागों की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर--सहायता प्राप्त विद्यालय।

3-- प्रत्येक बस्ती/आबादी के लिए सरकारी/परिषदीय/अनुदानित तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से पड़ोसी विद्यालय का चिन्हांकन किया जाना है। उल्लेखनीय है कि कक्षा--8 तक की कक्षाएं माध्यमिक विद्यालयों के साथ भी संचालित हैं। अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा 2 (ञ) में वर्णित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पड़ोसी विद्यालय अवधारण की स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त पड़ोसी विद्यालय के चिन्हांकन

की कार्यवाही स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी और प्रत्येक बस्ती के लिए पड़ोसी विद्यालय की सूचना को सार्वजनिक कराया जायेगा। यह कार्यवाही जनपद की प्रत्येक बस्ती के सन्दर्भ में की जायेगी। इस हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने–अपने विकास खण्ड में कार्यवाही कराने हेतु उत्तरदायी बनाया जाय। नगर क्षेत्र का दायित्व नगर शिक्षा अधिकारी और उप बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया जाय।

उक्तवत् कार्यवाही बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, स्वयं तथा माध्यमिक विद्यालयों के साथ संचालित कक्षा–8 तक की कक्षाओं के संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक से विचार–विमर्श के उपरान्त कार्य को मूर्तरूप प्रदान करायेंगें। समस्त सूचनायें संलग्न प्रपत्र–क पर विद्यालय स्तर, विकास खण्ड स्तर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर संग्रहीत कर रखी जायेंगी तथा हार्डकापी एवं साफ्ट कापी कम्प्यूटर पर भी सुरक्षित रखी जायें।

उक्त कार्यवाही आवश्यक रूप से **दिनांक 30 सितम्बर, 2012 तक** पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:उक्तवत्।

भवदीय,

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृ0सं0:आर0टी0ई0/शि0नि0(बे0)/9924-10191 /2012–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–

1– सचिव, बेसिक शिक्षा, (शिक्षा अनुभाग–5) उ0प्र0 शासन की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2– जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पड़ोसी विद्यालय के चिन्हांकन की कार्यवाही, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि पड़ोसी विद्यालय के चिन्हांकन की कार्यवाही, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 ।

5– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0) लखनऊ।

6– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक/माध्यमिक), शिक्षा निदेशाल, इलाहाबाद ।

7– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

8– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक , समस्त मण्डल को उक्तवत् कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित

9– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश ।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित "पड़ोसी विद्यालय"का नाम– सरकारी/परिषदीय/सहायता प्राप्त तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त असहायता प्राप्त विद्यालय।

जनपद का नाम .....

विकास क्षेत्र/नगर क्षेत्र का नाम .....

प्रपत्र–क

क0सं0	आबादी–ग्राम (HABITATION) का नाम	चिन्हित "पड़ोसी विद्यालय", सरकारी/परिषदीय/अनुदानित विद्यालय का नाम	चिन्हित "पड़ोसी विद्यालय" केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित विद्यालय का नाम	चिन्हित पड़ोसी विद्यालय से आबादी–ग्राम की वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

नोटः या0सं0(सी) 95/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के क्रम में गैर अनुदानित अल्प संख्यक विद्यालय उक्त से आच्छादित नहीं हैं ।

Sri Gaur Sr. Prog
Sd
30.7.12

प्रेषक,

बासुदेव यादव,
शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0,
निशातगंज, लखनऊ ।

सेवा में,

1--समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2--समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:आर0टी0ई0 / शि0नि0(बे0) / 2358-625 / 2012--13 दिनांक 30 जुलाई, 2012

विषय: **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 'बालक के अधिकार का संरक्षण' हेतु धारा 32 (1) एवं उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुच्छेद 25 (2) के अनुसार शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था ।**

महोदय / महोदया,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय--6 में बालकों के अधिकार के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गये हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 32 (1) में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:--

1. धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।
2. उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।
3. स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
4. उपधारा 3 के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन यथा उपबन्धित, यथास्थिति राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इसी प्रसंग में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में 25–(2) में निम्नवत् व्यवस्था दी गई है:–

25 (2) प्रारम्भिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के विनिश्चय के पश्चात् अपील, यथास्थिति विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10–क के अधीन नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए नगर पालिका को की जा सकती है।

समस्त शिकायतों का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑन लाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्ण कार्यवाही के माध्यम से किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

- बाल अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्ध में कोई शिकायत ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सचिव, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति को प्रस्तुत होंगी। सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि ग्राम शिक्षा समिति में शिकायत निराकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। शिकायत का निराकरण करके और निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में सम्बन्धित शिकायतकर्ता को दी जायेगी।
- इसी प्रकार नगर क्षेत्र के संदर्भ में वार्ड शिक्षा समिति को शिकायत सदस्य सचिव, प्रधानाध्यापक के माध्यम से दी जायेगी। वार्ड शिक्षा समिति के प्रधानाध्यापक द्वारा भी निराकरण के उपरान्त निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में शिकायतकर्ता को दी जायेगी।
- इस प्रकार के प्रथम स्तर पर निराकरण के निर्णय की सूचना से व्यथित शिकायतकर्ता अपील विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में तथा नगर क्षेत्र के संदर्भ में नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकेगी। इस अपील पर निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दी जायेगी।
- प्रथम अपील में दिये गये निर्णय से व्यथित होने पर द्वितीय अपील उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए

जिला पंचायत को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपील की जा सकेगी। और नगर क्षेत्र के मामलों में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 क के अधीन नगर पालिका को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपील की जा सकेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिला पंचायत अध्यक्ष/नगरपालिका के अध्यक्ष को निर्णय प्रस्तुत करेंगे।

- द्वितीय अपील पर निराकरण करते हुए निर्णय अधिकतम तीन माह में अवश्य दे दिया जाए।
- इन शिकायतों के निराकरण हेतु सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा ऑनलाइन कियाविधि के आधार पर पारदर्शी ढंग से तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी। सम्पूर्ण प्रदेश की शिकायतों का अनुश्रवण सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा। किन्तु व्यवस्था की दृष्टि से इस कार्य को सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के मार्गदर्शन में परिषद में कार्यरत संयुक्त सचिव और उपसचिव के मध्य विभाजित करके कराया जायेगा। प्रदेश के आधे–आधे जनपदों का कार्य सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त सचिव एवं उपसचिव आबंटित किया जायेगा। उपर्युक्त समस्त कार्यवाही प्रभावपूर्ण रीति से सुनिश्चित कराये जाने का कार्य सचिव,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0सं0:आर0टी0ई0/शि0नि0(बे0)/12358-625/2012–13 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, बेसिक शिक्षा, (शिक्षा अनुभाग–5) उ0प्र0 शासन की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2– जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 ।
3– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर पदेश।
4– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
5– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) लखनऊ।
6– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

7— सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि शिकायतों का अनुश्रवण ऑनलाइन कियाविधि के आधार पर पारदर्शी ढंग से तत्परतापूर्वक करने का कष्ट करें।

8— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल ।

9— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ।